भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड,
कोटा – 324005, ***(राजस्थान)***
Ph. No. 0744 – 2438929, 2429350 FAX 0744 – 2348927

F.NO.I(22)-4/Adm/2014- Date: 25.02.2014

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयो के विभिन्न तौल केन्द्रो जैसे झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोली याम, भीलवाडा, चित्तौडगढ, छोटीसादडी एवं प्रतापगढ इत्यादि पर माह अप्रैल 2014 के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक, अफीम तौल का कार्य किया जाएगा, जिसमें अफीम के तौल एवं प्रयोग ाला में सेम्पल लेने हेतु प्रयोग होने वाले बैलेंसों के रख– रखाव हेतु निविदाएं ऑमत्रित की जाती है। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 4 प्लेटफार्म बैंलेसं तथा 3 प्रेसीजन बैंलेसं का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है। बैलेंसो का विवरण निम्न हैः

S.No.	Name of equipments	Specification	Quantity
1	Precision electronic balance	Capacity – 120 grams, Accuracy – 1 miligram	3
2	Precision electronic balance (Make Contech)	Capacity – 120 grams, Accuracy – 10 miligram	
3	PlaxTP Electronic Weighing Scale PL size 500X500 mm with Printer	Capicity – 40 Kgs. Accuracy- 10 grams.	3
4	Platform Balance (Make Contech)	Capicity – 40 Kgs. Accuracy- 10 grams.	1

नियम व शर्तें

1. सभी बैलेंस मय प्रिन्टर बैलेंस विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, झालावाड/ भीलवाडा/चित्तौड–।/।।।/प्रतापगढ में रखे हैं, जिन्हे निविदादाता जांच कर मरम्मत करेगा। जांच हेतु निविदादाता कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय में सुबह 09.30 बजे से 18.00 बजे तक जा सकते है।
2. सभी बैलेंस अफीम तौल कार्य हेतु विभिन्न सात अफीम तौल केन्द्रों पर जायेगें। बैलेंसों तथा प्रिन्टरो की मरम्मत, रखरखाव, तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। मरम्मत में लगने वाले पार्टस भी निविदादाता द्वारा ही लगाए जाएगें। समस्त बैलेंसों मय प्रिन्टर को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) एवं नियमित चलाने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
3. निविदादाता को निविदा प्रति बैलेंस के रख–रखाव मय पार्टस एवं सभी उपकरण संसाधनो को सम्मिलित करते हुए देनी होगी, जिस पर **''अफीम तौल कार्य हेतु बैलेंस की निविदा''** अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (tax) का विवरण अलग से देना होगा।
4. प्रत्येक तौल केन्द्र पर निविदादाता को दो प्रि ाक्षित कर्मचारी रखने होगें, जो बैलेसों का रख–रखाव कर सके एवं प्रिन्ट निकाल सके। प्रि ाक्षित कर्मचारी की दर निविदा में अलग से दी जाए।
5. सभी बैलेंसों का सत्यापन सर्टिफिकेट राज्य तौल विभाग से दिनांक 26.03.2014 तक कराकर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देना होगा, जिनका भुगतान राज्य तौल विभाग के मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. सील्ड निविदा दिनांक **10.03.14** को 18.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक **11.03.14** को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जाएगी।
7. निविदादाताओं को धरोहर राशि रूपये 15000/–(पन्द्रह हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो **अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय होगा, निविदा के साथ संलग्न कराना होगा।
8. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने के स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर रा ाी भी जप्त की जा सकती है।
9. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
10. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा / सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

आज्ञा से
(सीताराम शर्मा)
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
राजस्थान, कोटा।